अध्याय 6.

मूल आर्थिक आँकड़े

- सांख्यिकी विभाग तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय से वर्ष 1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अस्तित्व में आया।
- 🗅 मंत्रालय के दो खंड हैं, एक का संबंध सांख्यिकी से और दूसरे का कार्यक्रम कार्यान्वयन से है।
- □ सांख्यिकी खंड को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यायल (NSO) के रूप में नया नाम दिया गया है, जिसमें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) शामिल हैं।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड के डिवीजन हैं:
 - > बीस सूत्री कार्यक्रम,
 - 🕨 बुनियादी ढांचा और परियोजना निगरानी, तथा
 - सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
- □ इन तीन खंडों के अलावा भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा गठित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग(NSC) और एक स्वायत्तशासी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) को संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

- ⇒ वर्ष 2005 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जिरए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के गठन का फैसला किया।
- आरंभ में एनएससी का गठन सांख्यिकीय प्राथमिकताओं और मानकों को तैयार करने, उनकी निगरानी करने और उन्हें लागू करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने तथा देश की सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय और अधिकार प्राप्त संगठन के रूप में कार्य करने के लिए वर्ष 2006 में किया गया।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान

- भारतीय सांख्यिकी संस्थान का पंजीकरण एक गैर-लाभकारी अध्ययन सोसाइटी के रूप में 28 अप्रैल, 1932 को पश्चिम बंगाल सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत हुआ था।
- संस्थान ने जैसे-जैसे अपनी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण और परियोजना गतिविधियों का विस्तार किया, इसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएँ मिलने लगी।
- सैद्धांतिक और व्यावहारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में संस्थान

द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदानों के फलस्वरूप इस संस्थान को 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' के रूप में मान्यता मिली जिससे इसे डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है, जो देश में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानक तैयार करता है।
- इसकी गितविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खातों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी/ग्रामीण/मिश्रित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों, लिंग संबंधी आंकड़ों सिंहत मानव विकास आंकड़ों का संकलन, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का संचालन और आर्थिक जनगणना तथा कार्यालय संबंधी सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
- सीएसओ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सांख्यिकी के विकास में सहायता भी करता है और ऊर्जा सांख्यिकी, सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी का प्रसार तथा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण भी तैयार करता है।

राष्ट्रीय लेखा

- सीएसओ का राष्ट्रीय लेखा डिवीजन (एनएडी) राष्ट्रीय लेखा की तैयारी, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकलन, राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, सांस्थानिक क्षेत्रों के लेन-देन के विवरण सहित पूंजी निर्माण और बचत शामिल है, के लिए उत्तरदायी हैं।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधाारित मुद्रास्फीति अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति की दरें (यानी, चालू माह की तुलना में विगत वर्ष के इसी माह) सामान्य सीपीआई (मिश्रित), प्रतिशत से 5.77 प्रतिशत में, नवंबर 2015 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान 5 प्रतिशत (4.20 प्रतिशत से 5.77 प्रतिशत के बीच) के आस-पास रही; माह जुलाई 2016 को छोडकर जब यह 6.07 थी।
- ⇒ उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई मिश्रित) पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरों (% में) पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि नवबंर 2015 से अक्टूबर 2016 के दौरान खाद्य पदार्थों की औसत मुद्रास्फीति दर 6.09 प्रतिशत थी।
- सीएफपीआई मुद्रास्फीति ने जुलाई 2016 में 8.35 प्रतिशत के शीर्ष स्तर को छुआ था और उसके बाद से इस दर में निरंतर हास हो रहा है।

मूल्य आंकड़ा संग्रहण

ग्रामीण खुदरा मूल्य संग्रहण (आरपीसी)

- ग्रामीण खुदरा मूल्यों के संग्रहित आंकड़ों का इस्तेमाल कृषि
 श्रिमकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तैयार
 करने में किया जाता है।
- वर्तमान में, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो कृषि श्रिमकों
 हेतु सीपीआई संकलिप और प्रकाशित करता है।
- नए उत्पादों की सूची हेतु आंकड़ा 26 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों
 के 603 गाँवों/बाजारों के नियत सेट से प्रत्येक माह अनुसूची
 3.01 (आर) का व्यवहार करते हुए संग्रहित किए जाते हैं।
- नई श्रेणी हेतु मूल्य आंकड़ा के साथ ही 12 कृषि और 13 गैर-कृषि कारोबारों के दैनिक दिहाड़ी दरों को भी संग्रहित किया जाता है।
- वर्तमान आरपीसी ढांचा दो दशक से ज्यादा पुराना है और इस
 अविध के दौरान शहरीकरण की गित तेज होने के कारण
 अधिकांश चयनित दूकानें/आउटलेट अब अस्तित्त्व में नहीं हैं।
- अतएव वर्तमान ढांचा पुराना हो गया है और इसमें तत्काल संशोधन जरूरी है।

 इसीलिए आरपीसी योजना की समीक्षा हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई (शहरी)

- मूल्यों का संग्रहण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा 310 शहरों के 1,114 उद्धरणों के लिए किए जाते हैं।
- इन उद्धरणों (कोटेशनों) में से 1,078 उद्धरणों की जवाबदेही
 एनएसएसओ पर है, शेष अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और लक्षद्वीप
 के 36 उद्धरणों की व्यवस्था सीएसओ द्वारा किया जाता है।
- जनसंख्या के खास वर्ग, जिसके लिए उद्धरण चिह्नित है, की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 62 उद्धरण हेतु विभिन्न सामाग्रियों के विशेष विवरण निर्धारित किए जाते हैं।
- सभी उद्धरण के लिए मूल्य आंकड़े का संग्रह उस उद्धरण के लिए निर्धारित सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुरोध पर एनएसएसओ डल्ब्यूपीआई के मौजूरा श्रेणियों और नई श्रेणियों हेतु मूल्य आंकड़ा संग्रहण में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय की मदद कर रहा है।
- वर्तमान में देशभर में फैले 3,813 इकाइयों और 18,192 उद्धरण ों (कोटेशनों) के संबंध में आंकड़ों का संप्रेषण किया जा रहा है। डब्ल्यूपीआई की मौजूदा श्रृंखलाओं के लिए आधार वर्ष 2004-05 है।
- डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखलाओं में 6,837 उद्धरण हैं और डब्ल्यूपीआई की मौजूदा श्रृंखलाओं और नई शृखंलाओं में 1,107 समान उद्धरण हैं जिसका आधार वर्ष 2011-12 है।

मृल्य सांख्यिकी

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जनवरी 2011 से हर महीने ग्रामीण, शहरी और मिश्रित क्षेत्रों हेतु अलग-अलग अखिल भारतीय और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आधार वर्ष (2010-12) के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का संग्रह प्रारंभ किया।

उपभोक्ता मूल्य

- सीएसओ समूह और उप-समूह स्तरों पर भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है।
- यह उल्लेखनीय है कि 'खाद्य एवं पेय पदार्थों' का हिस्सा 45.86 प्रतिशत है, जिसमें सीपीआई (मिश्रित) सूची में सीएफपीआई का 39.05 प्रतिशत हिस्सा शामिल हैं।

- विगत दो वर्षों के दौरान समग्र मुद्रास्फीति दर में ऐसी गतिविधि के कारणों को जानने के लिए उप-समृह स्तर पर मुद्रास्फीति दर के विश्लेषण की जरूरत है।
- समग्र मुद्रास्फीति दर में अनेक योगदान को जानने के लिए उप-समूह/समूहवार मुद्रास्फीति दर तथा उनका हिस्सा (वजन के लिहाज से) को नवंबर 2015 से अक्टूबर 2016 के प्रत्येक महीने के दौरान साथ मिला दिया गया है।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) देश में औद्योगिक सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है।
- यह विद्युत, गैस और पानी की आपूर्ति तथा शीत भंडारों के निर्माण की प्रक्रिया, मरम्मत सेवाओं, उत्पादन, पारेषण आदि से जुड़ी गतिविधियों को मिलाकर संगठित निर्माण क्षेत्र के विकास, संयोजन और ढांचे में परिवर्तन एक तटस्थ भाव से और वास्तव में पहुँच और उसके मूल्यांकन के बारे में सांख्यिकीय सूचना प्रदान करता है।
- एएसआई का विस्तार देशभर में है। सर्वेक्षण में (फैक्टरी अधिनियम)।
 - 1948 के अनुच्देद 2 (एम 1), 2 (एम II) के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखानें शामिल हैं।
- सर्वेक्षण में बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत बीड़ी और सिगार बनाने वाले प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में दर्ज बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे 1997-98 तक के सभी विद्युत उपक्रमों को एएसआई के अंतर्गत शामिल किया गया, चाहे उनका रोजगार आकार कुछ भी हो।
- कुछ सेवाओं और गितिविधियों जैसे शीत भंडारण, जलापूर्ति, मोटर वाहनों की मरम्मत और अन्य टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जैसे घडि़यां आदि सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल की गई हैं।
- रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण और वितरण डिपो, रेस्तरां, होटल, कैफे और कंप्यूटर सेवाएं तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है।
- उपरोक्त के अलावा एएसआई के नमूना डिजाइन पर उप-समूह की अनुशंसा के अनुसार एएसआई के कवरेज को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम
 - 1948 के अनुच्देर 2 (एम 1), 2 (एम II) और बीड़ी तथा सिगार कामगार (रोजगार की शर्ते) अधिनियम, 1966 के दायरे से आगे विस्तार दिया गया है।

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी)

- सीएसओ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा उनके संबद्ध/
 अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त सहायक आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन करता है।
- 🗅 आईआईपी का वर्तमान आधार वर्ष 2004-05 है।
- आईएमएफ के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों (एसडीडीएम)
 के अनुसार छह सप्ताहों के अंतराल पर त्वरित अनुमानों के रूप में हर माह आईआईपी जारी किया जाता है।
- खनन, निर्माण और विद्युत क्षेत्रों के लिए सूचकांक के विघटन के अलावा, अनुमानों को उपयोग आधारित वर्गीकरण यानी, आधारभूत वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, अर्द्धनिर्मित वस्तुओं, टिकाऊ वस्तुओं और गैर-टिकाऊ वस्तुओं के लिए साथ-साथ जारी किया जाता है।
- इन अनुमानों को 15 स्रोत एजेंसियों से नवीनतम उत्पादन आंकड़े प्राप्त होने पर बाद में संशोधित किया जाता है।
- आईआईपी के लिए आंकड़ों का प्रमुख स्रोत औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग है जो कुल आईआईपी में 45.6 प्रतिशत विशिष्ट भार के साथ 399 मद समूहों में से 268 के लिए आंकड़ों की आपूर्ति करता है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) विविध क्षेत्रों में, अखिल भारतीय आधार पर बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराने के लिए जिम्मेदार है।
- आर्थिक गणना को आगे बढ़ाते हुए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम और उद्यमों के सर्वेक्षणों के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) पर देशभर में परिवारों के सर्वेक्षण के जिरये प्रारंभिक आंकड़ें नियमित तौर पर एकत्र किए जाते हैं।
- इन सर्वेक्षणों के अलावा, एनएसएसओ ग्रामीण और शहरी मूल्यों पर आंकड़े एकत्र करता है; क्षेत्र गणना और राज्य एजेंसियों के फसल अनुमान सर्वेक्षण के निरीक्षण के जरिये फसल सांख्यिकी के सुधार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह शहरी इलाकों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए प्रतिदशों का रेखांकन करने के लिए शहरी क्षेत्रीय इकाइयों के ढांचों की देखरेख करता है।

बीस सूत्री कार्यक्रम

🗢 बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) की शुरूआत वर्ष 1975 में की

गई थी और इसे 1982, 1986 और 2006 में पुनर्गठित कार्यक्रम का मुख्य जोर गरीबी उन्मूलन और देशभर के गरीब तथा सुविधाओं से वंचित लोगों के जीवन स्तर को सुधारना था।

- इस कार्यक्रम में अनेक सामाजिक-आर्थिक पहलू जैसे-गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनीकरण और पर्यावरण सरंक्षण, ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा, समाज के कमजोर लोगों का कल्याण आदि शामिल हैं।
- इस पुनर्गठित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी)-2006 कहा जाता है और इसका निगरानी तंत्र वर्ष 2007 से क्रियाशील हुआ।
- टीपीपी-2006 ने अपने संचालन के दस वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसे मूलत: 20 सूत्रों और 66 विषयों को मिलाकर बनाया गया था जिसकी निगरानी संबद्ध प्रधान केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा की जाती थी।
- इन 66 विषयों में से 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)' को एक अन्य विषय 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम' में 2008 से सिम्मिलित कर लिया गया और इसे 2009 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम नाम दे दिया गया।
- वर्तमान में शेष 65 विषयों में से 19 विषयों की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

निगरानी तंत्र

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन और उसकी निगरानी की प्रमुख जिम्मेदारी कार्यक्रम को अमल में लाने वाली एजेंसियों की होती है, जो इस मामलें मे राज्य सरकारें/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों की है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी करता है जिन्हें राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्टों के आधार पर टीपीपी-2006 के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- मंत्रालय ने वेब आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है ताकि राज्य सरकारों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों से सूचना तेजी से एकत्र की जा सके।

बुनियादी ढांचा एवं परियोजना निगरानी

बुनियादी ढांचा एवं पिरयोजना निगरानी डिवीजन (आइपीएमडी) 16 बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा अनेक केंद्रीय क्षेत्र सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसइएस) द्वारा हाथ में लिए गए 150 करोड़ तथा उससे अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र बुनियादी ढांचा पिरयोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करता है।

नियमित निगरानी के साथ विवेकपूर्ण प्रभावी समन्वय


 बेहतर गित और कम लागत वाली उन्नत दक्षता के साथ उनकी सफल समाप्ति सुनिश्चित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण तत्व बन जाता है।

बुनियादी ढांचा निगरानी

- देश के महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की निगरानी की संकल्पना उसके कामकाज और यदि कोई चूक है तो निर्णय करने वाले प्राधिकारों के समक्ष उसे समीक्षा हेतु रखने के लिए की गई।
- यह मंत्रालय देश के ग्यारह प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों यथा-बिजली, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरकों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, नागर विमानन और दूरसंचार के कामकाज की निगरानी करता है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलेड्स) 1993 में आरंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य सांसदों को स्थायी सामुद्रायिक पिरसंपित्तयों के सृजन हेतु विकासात्मक प्रकृति के कार्यों और उनके क्षेत्रों/ राज्यों में स्थानीय जरूरतों पर आधारित सामुदायिक बुनियादी ढांचा समेत बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हेतु एक तंत्र प्रदान करना है।
- आरंभ में, एमपीलैंड्स योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन था।



India (total) ■7352.50 =5783.66

(All figures in rupee crore)

- 1994 में एमपीलैड्स योजना से जुड़े विषय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था।
- यह योजना कुछ दिशानिर्देश द्वारा संचालित है जिसे समय-समय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। वर्तमान दिशानिर्देश जून 2016 में जारी किए गए थे।

भारत - 2019

एमपीलैड योजना की मुख्य विशेषताएँ

- एमपीलैंड्स योजना पूरी तरह से भारत सरकार से सहायता प्राप्त एक केंद्रीय योजना है, जिसके अंतर्गत अनुदान के रूप में धनराशि सीधे तौर पर जिलाधिकारियों को जारी की जाती है।
- योजना के अंतर्गत जारी निधि कालातीत अथवा रद्द नहीं होती, यानी किसी विशेष वर्ष में नहीं जारी की गई निधि को योग्यता के अनुसार के आगामी वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- वर्तमान में प्रति सांसद/निर्वाचन क्षेत्र 5 करोड़ रुपये वार्षिक
 प्राप्त करने का हकदार हैं।
- एमपीलैंड्स योजना के अतंर्गत सांसदो की भूमिका कार्यों की सिफारिश करने तक सीमित है।
- इसके बाद एक नियत समय के अंदर सांसदों द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों को मंजूरी देना, निष्पादित कराना और पूरा कराना जिला प्राधिकारी की जिम्मेदारी है।
- लोक सभा के निर्वाचित सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों
 में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य उस राज्य में कहीं भी कार्यों
 की सिफारिश कर सकते हैं जहां से वे चुने गए हैं।
- लोक सभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य देश के किसी
 भी हिस्से में कार्यों के कार्यान्वयन की सिफारिश कर सकते हैं।
- सरकार के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए कोई सीमा नहीं है। हालांकि ट्रस्ट/सोसाइटी के कार्यों हेतु प्रत्येक ट्रस्ट/सोसाइटी को उसके जीवनकाल में 50 लाख रूपये तक की सीमा निर्धारित है।
- एमपीलैंड्स योजना निधि से ट्रस्टों/सोसाइटियों के कार्यों के लिए कोई सांसद एक वित्तीय वर्ष में 100 लाख रूपये तक के निधि की ही अनुशंसा कर सकते हैं।

- एमपीलैड्स योजना कार्यों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटने, कीटों के हमले, भूस्खलन, बंवडर, भूकंप, सूखा, सुनामी, आग तथा जैविकीय, रासायनिक रेडियोलॉजिकल खतरों आदि से प्रभावित इलाकों में कार्यान्वित किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाितयों और अनुसूचित जनजाितयों की रिहायशी इलाकों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए एमपीलैंड्स निधि की 15 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल अ.जा. की आबादी वाले इलाकों में किया जाएगा और 7.5 प्रतिशत धनरािश का इस्तेमाल अ.ज.जा की आबादी वाले इलाक में किया जाएगा;
- □ यदि संसद के कोई निर्वाचित सदस्य अपने राज्य/केंद्रशासित राज्य से बाहर अथवा राज्य के अंदर अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अथवा दोनों स्थितियों में एमपीलैंड्स योजना निधि से अनुदान देना जरूरी समझते हों, तो वे इन दिशानिर्देशों के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 25 लाख रूपये की राशि के जायज कार्यों के लिए अनुशंसा कर सकते हैं।
- □ किसी संसद सदस्य के ऐसे भाव प्रदर्शन से लोगों के बीच जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय एकता, सौहार्द्र और भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा; तथा
- संसद सदस्य अपने एमपीलैंड्स योजना निधि से राज्य सरकार से वित्तीय सहायता पाने वाले अनुदान प्राप्त शैक्षणित संस्थानों, जो विद्यालयों के मामले में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/ केंद्रीय माध्यिमक शिक्षा बोर्ड तथा महाविद्यालयों के मामले में राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त हों तथा छात्रों से वाणिज्यिक शुल्क नहीं लेते हों, के लिए निधि की अनुशंसा कर सकते हैं।
- ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएँ दिशानिर्देशों के तहत
 स्वीकृत सभी मदों हेतु, बिना किसी सीमा के, एमपीलैड्स
 योजना निधि प्राप्त करने के पात्र हैं।

परीक्षा उपयोगी प्रश्न

- भारत सरकार के बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने 4. वाली नोडल एजेंसी है-
 - (a) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
 - (b) परिवार कल्याण मंत्रालय
 - (c) गृह मंत्रालय
 - (d) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 - वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में 7.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई।
 - 2. NSSO द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 a 2
- (d) न तो 1 न ही 2
- 3. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
 - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आधार वर्ष 2011-12 है।
 - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।

कूट

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 a 2
- (d) न तो 1 न ही 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- पिछले एक दशक से सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर उत्तरोत्तर बढ्ती रही है।
- सेवा क्षेत्र में वित्तीय, रियल एस्टेट व व्यवसायिक सेवाओं का योगदान सबसे अधिक है।

सही कथन का चयन कीजिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 a 2
- (d) न तो 1 न ही 2

5. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केवल आठ आधारभूत उद्योगों का सूचकांक जारी करता है।
- 2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आधारभूत उद्योगों का भारांश लगभग 40.27% है।

सही कथन का चयन कीजिए-

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2
- (d) न तो 1 न ही 2
- 6. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
 - एम पी लैंड योजना एक केन्द्रीय योजना है जो भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन व किशोरी बालिकाओं के शिक्षा हेतु चलाई जा रही है।
 - एम पी लैंड योजना के अंतर्गत जिला प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह नियत समय के अंदर सांसदों की सिफारिशों को मंजूरी दें व उनकों निष्पादित कराए।

सही कथन का चयन कीजिए-

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2
- (d) न तो 1 न ही 2

Answer Key:-

1. (a)

2. (a)

3.(a)

4.(c)

5.(c)

6. (b)